

सी.ए. सुधीर हालाखंडी

GST BY CA SUDHIR HALAKHANDI



आइये समझे जी.एस.टी. को

भाग -5

छोटे एवं माध्यम दर्जे के व्यापार एवं उद्योग के लिए
दिनांक 17 अप्रैल 2017

कैसे भरें होंगे जी.एस.टी. के रिटर्न

जी.एस.टी. को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया का जो आपको पालन करना होगा वह है जी.एस.टी. के रिटर्न भरना . आइये आज आपसे जी.एस.टी. के रिटर्न भरने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं और इसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे उन करदाता की जो कि सामान्य करदाता है अर्थात वे करदाता जो सामान्य रूप से जी.एस.टी. का कर भुगतान करेंगे और जिन्होंने कम्पोजीशन कर भुगतान का विकल्प

नहीं लिया है. अधिकाँश डीलर्स जी.एस.टी. के तहत इसी श्रेणी में आयेंगे अतः; सबसे पहले इसी श्रेणी के लिए रिटर्न की चर्चा करते हैं :-

कुल कितने रिटर्न होंगे

आपको प्रत्येक माह तीन रिटर्न भरने होंगे जो पूरी तरह से एक दुसरे से अलग होंगे तो आइये पहले हम यह देखें कि ये तीन रिटर्न कौनसे होंगे एवं कि अवधि में पेश करने होंगे :-

रिटर्न का नाम	विवरण	कब तक पेश करना है
GSTR-1	मासिक बिक्री का विवरण	अगले माह की 10 तारीख तक
GSTR-2	मासिक खरीद का विवरण	अगले माह की 15 तारीख तक (10 तारीख के पूर्व यह रिटर्न नहीं भरा जा सकता है अर्थात इसे आपको 10 से 15 तारीख के बीच भरना है).
GSTR-3	मासिक कर का रिटर्न	अगले माह की 20 तारीख तक.
GSTR-9	वार्षिक रिटर्न	वित्तीय वर्ष की समाप्ती के बाद 31 दिसम्बर तक.

इस प्रकार आप देखेंगे कि कुल पूरे वर्ष में आपको एक वार्षिक रिटर्न को मिलाते हुए कुल **37** रिटर्न भरने होंगे . इसके आपको हर माह के बाद **10** दिन , **15** दिन एवं **20** दिन मिलेंगे और इस प्रक्रिया का पालन आपको हर माह करना होगा.

अब आगे हम देखेंगे कि ये तीनों मासिक रिटर्न किस तरह भरे जाएंगे और यह रिटर्न सरकार द्वारा विकसित जी.एस.टी.एन. नामक नेटवर्क पर भरना पड़ेगा और सभी कुछ सूचना तकनीक पर आधारित होगा और जी.एस.टी. पूरा का पूरा सूचना तकनीक पर आधारित होगा इसमें कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है क्यों कि इस समय सेंट्रल एक्साइज , सर्विस टैक्स और अधिकाँश राज्यों में वेट भी इसी तकनीक पर ही चल रहे है .

जी.एस.टी. पूरी तरह से सूचना तकनीक पर आधारित होगा लेकिन फिर भी आपको इससे जुड़े प्रावधानों के पालन के लिए ना सिर्फ काफी मेहनत करनी होगी बल्कि समय की मुश्किल सीमा का भी पालन करना होगा क्यों कि आपके रिटर्न पर ही आपके खरीददारों के रिटर्न भी निर्भर है और आपके विक्रेताओं के रिटर्न पर आपका रिटर्न निर्भर होगा. यदि आप अपना रिटर्न सही एवं समय पर नहीं भरते है तो आपके खरीददारों के लिए “मिसमैच” की समस्या पैदा होगी और यदि आपके विक्रेता अपना रिटर्न सही एवं समय पर नहीं भरते है तो आपके लिए मिसमैच की समस्या खड़ी हो जायेगी .

जी.एस.टी.एन आपकी रेटिंग तय करेगा

आपके सही समय पर रिटर्न भरने , कर जमा कराने के आधार पर आपकी रेटिंग भी तय की जायेगी जिसे समय - समय पर अपडेट भी किया जाएगा और यह रेटिंग (धारा 149) अन्य डीलर्स के देखे जाने के लिए भी उपलब्ध रहेगी अतः आपके लिए यह ही उचित होगा कि इन नियमों का उचित पालन करे ताकि आपके साथ व्यापार करने वाले वर्तमान एवं भावी डीलर्स पर इसका अच्छा प्रभाव पड़े.

आइये अब तीन मुख्य रिटर्न्स का अध्ययन करें

जी.एस.टी.आर.-1

यह आपकी मासिक सप्लाई का रिटर्न होगा और इसमें आप द्वारा सप्लाई की गई माल एवं सेवाओं का जिक्र होगा. यहाँ ध्यान रखे कि आप द्वारा जी.एस.टी. में रजिस्टर्ड डीलर्स को की गई सप्लाई चाहे वह राज्य के भीतर हो या दूसरे राज्य के डीलर को है , का विवरण प्रत्येक बिल का अलग -अलग देना होगा इस विवरण में खरीददार का जी.एस.टी.एन नंबर भी देना होगा.

इसके अतिरिक्त जो सप्लाई उपभोक्ता या अन-रजिस्टर्ड डीलर्स को है उसका विवरण एक साथ देना होगा. लेकिन यदि अन-रजिस्टर्ड को की गई किसी एक बिल से सप्लाई 2.50 लाख रुपये से अधिक है तो उसकी विगत भी आपको बिल सहित देनी होगी.

इसके अतिरिक्त यदि आप राज्य के बाहर बिक्री करते है और इस बिक्री में से 2.50 लाख रुपये से अधिक के बिल की छोड़ते हुए (जिसकी बिल सहित विगत आप ऊपर लिखे अनुसार दे रहें है) बिक्री की सामूहिक विगत आपको "राज्य वार" देनी है अर्थात किस राज्य के

डीलर को आपने कितनी बिक्री की है इसकी राज्यवार विगत देनी होगी .

आप जो सप्लाई इस रिटर्न में जी.एस.टी. में रजिस्टर्ड डीलर्स को लेकर भरेंगे वो स्वतः ही आपके खरीददार डीलर के विवरण में अपने -आप जी.एस.टी.एन. नेटवर्क के जरिये उनके जी.एस.टी.आर -2 के एक भाग में चली जायेगी .

इस रिटर्न को भरते समय आपको HSN Code भी भरना होगा लेकिन यह किन डीलर्स को भरना होगा इसका अध्ययन हम आगे करेंगे.

यह रिटर्न आपको महीना समाप्त होने के 10 दिन के भीतर भरना होगा. यहाँ यह विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि आप 10 तारीख तक यह रिटर्न नहीं भरते हैं तो फिर आप यह रिटर्न अब आप 16 तारीख को या उसके बाद ही भर पायेंगे क्योंकि 11 तारीख से 15 तारीख तक आपके खरीददार आपके द्वारा भरी गई बिक्री को चेक कर उसे स्वीकार /अस्वीकार/ संशोधित करेंगे और उन 5 दिनों के लिए जी.एस.टी.आर.-1 भरने की सुविधा बंद कर दी जायेगी.

जी.एस.टी.आर.-2

जो सप्लाई की विगत जी.एस.टी.आर.-1 में विक्रेता द्वारा भरी गई है वह खरीददार के खरीद के विवरण में अपने -आप ही आ जायेगी .इसी तरह मान लीजिये कि आपके विक्रेताओं ने जो आपको की बिक्री की विगत अपने जी.एस.टी.आर.-1 में भरी है वो आपकी खरीद के रिटर्न में अपने-आप आ जाएगी .

अब क्रेता उसे चेक करेगा और यदि सही होगी तो इसे अप्रूव कर देगा और यदि क्रेता के हिसाब से यह गलत/फर्क होगा तो वह इसमें आपने रिकॉर्ड के अनुसार परिवर्तन कर देगा या और भी बिक्री जो विक्रेता ने नहीं दिखाई है या अभी तक विक्रेता ने रिटर्न ही नहीं भरा है तो क्रेता यह भी जोड़ सकता.

यह कार्य क्रेता को माह समाप्त होने के बाद अगले माह की 10 तारीख से प्रारम्भ कर 15 तारीख तक करना होगा.

क्रेता जो परिवर्तन विक्रेता के द्वारा भरे गए जी.एस.टी.आर.-1 से प्राप्त सूचना में परिवर्तन करेगा उसकी सूचना विक्रेता के पास इसी पोर्टल पर उसके जी.एस.टी.आर -1A के जरिये पहुंचेंगी और यदि विक्रेता भी इसे मान लेता है तो इससे उसका जी.एस.टी.आर -1 इस परिवर्तन तक संशोधित हो जाएगा.

विक्रेता उसी माह की, जिसमे रिटर्न भरना ऊपर बताया गया है, कि 17 तारीख तक क्रेता द्वारा किये गए परिवर्तन को अप्रूव करे सकेगा और वह ऐसा नहीं करता है तो एक मिसमैच रिपोर्ट जारी हो जायेगी और इस मिसमैच रिपोर्ट का क्या होगा इसका जिक्र हम आगे करेंगे लेकिन फिलहाल यहाँ क्रेता को अपना रिटर्न भरने के लिए यह इनपुट क्रेडिट मिल जायेगी और इसके मिसमैच का फैसला किस तरह होगा इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे.

जी.एस.टी.आर.-3

जी.एस.टी.आर-1 एवं जी.एस.टी.आर.-2 भरने के बाद 20 तारीख को जी.एस.टी.आर.-3 के रूप में एक मासिक रिटर्न भरना होगा जिसमे

करदाता उसके आउटपुट में से इनपुट घटाने के बाद मासिक कर का निर्धारण करने के बाद उसे जमा करते हुए विवरण देगा.

आइये देखें की इस रिटर्न जी.एस.टी.आर.-3 में दिए गए आंकड़े किस तरह से भरे जायेंगे :-

पार्ट -A :- इस रिटर्न का पार्ट -A जी.एस.टी.आर. 1 एवं जी.एस.टी.आर-2 के आधार पर स्वतः ही भरा हुआ होगा. जिसमे आपकी इनपुट और आउटपुट क्रेडिट होगी .

पार्ट -B :- इसमें टैक्स , ब्याज एवं पेनाल्टी की विगत होगी जो कि आपके केश और आई.टी.सी. लेजर से स्वतः ही आ जायेगी . केश और आई.टी.सी. लेजर के बारे में बाद में चर्चा करेंगे.

अब आप स्वयं सोच ले कि आपके रिटर्न पर आपके सभी खरीददारों के रिटर्न निर्भर है और उसी तरह से आपके विक्रेताओं के रिटर्न पर आपका रिटर्न निर्भर है तो अब रिटर्न भरते समय “समय सीमा” का पालन करना अति आवश्यक हो जाएगा .

इस समय वेट के दौरान जो रिटर्न आप भरते है उनमे जिन राज्यों में त्रैमासिक रिटर्न है वहां वार्षिक रिटर्न को मिलाते हुए आप 5 रिटर्न भरतें है और जहां मासिक रिटर्न है वहां आप 13 रिटर्न भरतें है अब इन रिटर्न की संख्या 37 हो जायेगी .

अभी तक आपको रिटर्न भरने के लिए 30 दिन से 60 दिन का समय दिया जाता है उसे भी घटा कर 10 दिन कर दिया गया है और इस पूरी प्रक्रिया के लिए आपको 20 दिन का समय दिया गया है .

इसलिए आप अभी से जी.एस.टी. के लिए तैयार हो जाएँ .

नोट :- इसे पढ़ें और उन लोगों को अग्रेषित (FORWARD) करें जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है . इसमें लेख को लिखते समय पूरी सावधानी बरती गई है लेकिन फिर भी “त्रुटि एवं गुणात्मक सुधार” के लिए आपके व्हाट्स आप का इन्तजार रहेगा.

-सी.ए.सुधीर हालाखंडी -

E-mail ID Sudhirhalakhandi@gmail.com

Visit our GST face book page:-

<https://www.facebook.com/Goods-and-Service-Tax-Ca-Sudhir-Halakhandi-855899974452868/>

व्हाट्स एप्प के लिए प्रयोग करें

98280-67256

